– निर्णय –

फार्म–ए

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

उपस्थित–अनिल कुमार वर्मा –प्रथम (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06552

UPUN010024572025

(निर्णय तिथि – 17.06.2026)

सत्र परीक्षण संख्या – 563/2025

मुकदमा अपराध संख्या – 340/2024

धारा–127(2), 74,115(2),108,352 बी0एन0एस0

थाना – अजगैन, जनपद – उन्नाव।

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. सचिन पुत्र राजेश 2. सुधीर कुमार पुत्र सन्दरलाल निवासीगण– ग्राम नवई, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव।
द्वारा अधिवक्तागण	श्री पी0के0 सिंह चौहान एडवोकेट एवं श्री मोहम्मद अहमद एडवोकेट

फार्म–बी

अपराध की तिथि	03.11.2024 एवं 04.11.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	04.11.2024
आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जाने की तिथि	03.01.2025
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	18.04.2025
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	23.06.2025
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	06.06.2026
निर्णय की तिथि	17.06.2026

अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा–468 दं0प्र0सं0 के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि
01	1. सचिन 2. सुधीर कुमार	05.11.24 07.11.24	03.12.25 15.02.25	धारा–127(2), 74,115(2),108, 352 बी0एन0एस0	धारा–127(2), 74, 352 ,108 बी0एन0एस0 में दोषमुक्त तथा धारा115(2)	निर्णय में नीचे अंकित है।	05.11.24 से 03.12.25

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.17 16:46:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

					बीएनएस में दोषसिद्ध		

फार्म–सी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू0–1	रोशनी	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–2	रेशमा वर्मा	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–3	कां0 मु0 रामलखन	औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–4	डा0 कौशलेन्द्र प्रकाश	विशेषज्ञ साक्षी
पी0डब्लू0–5	अजय कुमार	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–6	उप नि0 मो0 कल्लन	अनुसंधान साक्षी

बी. प्रतिरक्षा साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

सी. न्यायालय साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों / प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन प्रपत्र / प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण / उल्लेख
01	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1	तहरीर
02	प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3,	पी0डब्लू0–3	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी0डी0 कायमी मुकदमा
03	प्रदर्श क–4,	पी0डब्लू0–4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
04	प्रदर्श क–5 व क–6	पी0डब्लू0–5	पंचायतनामा व सूचना तहरीर साक्षी
05	प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–7, क–8, क–9, क–10, क–11, क–12,क–13,क–14, क–15,क–16 व क–17	पी0डब्लू0–6	पंचायतनामा,गिरफ्तारी प्रपत्र, गिरफ्तारी जीडी, आत्महत्या के स्थान का नक्शानजरी, मारपीट करने का नक्शानरी, आरोपपत्र, चिट्ठी आर.आई. चिट्ठी सीएमओ, नमूना सील, फोटोलाश, चालान लाश, जी.डी. व फौती सूचना

बी. प्रतिरक्षा प्रपत्र / प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण / उल्लेख
कोई नहीं			

सी. न्यायालय प्रपत्र/प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
कोई नहीं			

डी. वस्तु प्रदर्श–

क्रम सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
01	वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श –2	पी0डब्लू0–1	फोटो, वीडियो चिप

1. प्रस्तुत मामले में मु0अ0सं0–340/2024 की विवेचना के उपरांत थाना अजगैन जिला उन्नाव द्वारा अभियुक्त सचिन के विरूद्ध अर्न्तगत धारा–127(2), 74, 115(2), 352,108 बी0एन0एस0 में तथा अभियुक्त सुधीर कुमार के विरूद्ध धारा 352,108 बी0एन0एस0 में आरोप पत्र न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी (महिलाओं के विरूद्ध अपराध), उन्नाव में प्रेषित किया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादिनी कोमल ने थानाध्यक्ष अजगैन को इस आशय की तहरीर दिनांक 04.11.2024 को समय 21.16 बजे दी कि वह कल दिनांक 03.11.2024 को समय करीब 6.00 बजे शाम अपने घर जा रही थी तो रास्ते में गॉव के सचिन पुत्र राजेश शराब के नशे में उसको अपने दरवाजे रोक कर बदतमीजी करने लगा। जब वह अपने बचाव को चिल्लाई तो सचिन ने उसको मारापीटा। आवाज सुनकर उसको बचाने आयी उसकी बहन रेशमा को भी सचिन ने गाली–गलौज करते हुए मारा–पीटा था, जिसकी सूचना 112 नम्बर पर दी गयी थी तथा उक्त सचिन पहले भी कई बार उससे बदतमीजी करते हुए मारपीट चुके हैं। सूचना दर्ज की जाये।

3. उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना अजगैन, उन्नाव पर अभियुक्त सचिन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–340/2024, अर्न्तगत धारा–127(2),74,115(2),352 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा जी0डी0 की रपट नं0 93 पर दिनांक 04.11.2024 को समय 21.16 बजे किया गया। मृतका कोमल द्वारा दिनांक 04.11.2026 को समय 7.50 बजे शाम आत्महत्या के बाद उसके भाई अजय द्वारा थाने पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2024 को समय 12.38 बजे दिया गया कि दिनांक 03.11.2024 को उसकी बहन कोमल के साथ सचिन पुत्र राजेश के द्वारा अपने दरवाजे पर रोक कर बदतमीजी करते हुए गाली–गलौज करके मारापीटा था तथा रेशमा को भी मारापीटा था। आज दिनांक 04.11.2024 को उसकी बहन कोमल द्वारा थाना अजगैन में

प्रार्थना पत्र मुकदमें की कार्यवाही हेतु दिया था। दिनांक 04.11.2024 को समय 7.50 बजे रात्रि में उसकी बहन कोमल अपने गले में फन्दा लगाकर लटक गयी थी। हम लोग उसे तुरन्त उतार कर फरहदपुर डाक्टर के पास ले गये, उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। अतः उचित कार्यवाही की जाये। उक्त सूचना का उल्लेख दिनांक 05.11.2024 को समय 00.21 बजे थाना अजगैन जनपद उन्नाव में रपट सं0 4 पर किया गया। पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा कराकर आवश्यक प्रपत्रों सहित शव को पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किया गया तथा विवेचक ने मृतका की बहन रोशनी, रेशमा व भाभी आरती का बयान लिया तथा विवेचना में धारा 108 बी0एन0एस0 के आरोप की बढ़ोत्तरी की एवं अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार किया गया। बादहू विवेचक द्वारा मृतका की मॉ कलावती का बयान दर्ज किया जिसमें मामले में अभियुक्त सुधीर कुमार का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम विवेचना में अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया तथा उसकी गिरफ्तारी की गयी। विवेचक ने मौके पर पंहुचकर नक्शानजरी घटनास्थल बनाया, फांसी में प्रयुक्त दुपट्टा व रस्सी के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उन्हें बताया गया कि जब वे लोग मृतका को फरहदपुर अस्पताल से लेकर आये तो गांव वासियों ने कहा कि इस दुपट्टे व रस्सी को जला दो वरना कोमल की आत्मा भटकती रहेगी, फिर उन लोगों ने दुपट्टे व रस्सी में आग लगा दी थी तथा वह जलकर राख हो गया। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये तथा अभियुक्त सचिन के विरूद्ध धारा–127(2),74,115(2),352,108 बी0एन0एस0 एवं अभियुक्त सुधीर कुमार के विरूद्ध धारा 352,108 बी0एन0एस0 का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर विवेचक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित आये तो उन्हें न्यायालय द्वारा धारा–230 बी.एन.एस.एस. के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदान की गयी तथा प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सिविल जज (जू0 डि0) एफटीसी, (महिलाओं के विरूद्ध अपराध), उन्नाव के आदेश दिनांक–03.04.2025 द्वारा मामले को सत्र न्यायालय विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

4. सत्र न्यायालय में दिनांक–18.04.2025 को अभियुक्त सचिन के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–127(2),74,115(2),352,108 बी0एन0एस0 एवं अभियुक्त सुधीर कुमार के विरूद्ध धारा 352,108 बी0एन0एस0 विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मॉग की।

5. अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में साक्षीगण पी0डब्लू0–1 रोशनी, पी0डब्लू0–2 रेशमा वर्मा, पी0डब्लू0–3 कां0 मो0 रामलखन, पी0डब्लू0–4 डा0 कौशलेन्द्र प्रकाश, पी0डब्लू0–5 अजय कुमार, पी0डब्लू0–6 उपनिरीक्षक मो0 कल्लन को

परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, मुकदमा कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4, पंचायतनामा प्रदर्श क–5, फौती सूचना प्रदर्श क–6, गिरफ्तारी का प्रपत्र प्रदर्श क–7, अभियुक्त के गिरफ्तारी की जी0डी0 प्रदर्श क–8, पीड़िता के फांसी लगाने के स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–9, पीड़िता के साथ घटना कारित होने के स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–10, आरोप–पत्र प्रदर्श क–11, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–12, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–13, नमूना सील प्रदर्श क–14, फोटो लाश प्रदर्श क–15, चालान लाश प्रदर्श क–16, फौती सूचना से सम्बन्धित जी0डी0 प्रदर्श क–17 प्रस्तुत किये गये हैं।

6. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 05.02.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त सुधीर कुमार ने दिनांक 03.11.2024 को समय 18.00 बजे अभियुक्त के मकान के सामने की घटना को झूठा बताया है तथा स्वंय को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद न होना बताया है। वादिनी को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने के आरोप को गलत बताया। पी0डब्लू0 1, एवं 2 की गवाही को झूठ होना बताया। पी0डब्लू0 3 एवं 4 के बयान के सन्दर्भ में कुछ कहने से इनकार किया, पी0डब्लू0 5 द्वारा झूठी गवाही दिया जाना बताया। पी0डब्लू0 6 विवेचक द्वारा गलत विवेचना किया जाना, मुकदमा स्वयं के विरूद्ध गलत व रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताया। अभियुक्त सचिन ने दिनांक 03.11.2024 को समय 18.00 बजे अभियुक्त के मकान के सामने की घटना को गलत बताया, वादिनी की लज्जा भंग करने हेतु आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने, वादिनी को मारने–पीटने, गालियां देने तथा उसे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने के आरोप को गलत होना बताया। पी0डब्लू0 1 लगायत 3 के बयान को झूठा होना बताया। पी0डब्लू0 4 के बयान के सम्बन्ध कुछ कथन करने से इंकार किया तथा पी0डब्लू0 5 के बयान को झूठा होना बताया तथा पी0डब्लू0 6 द्वारा झूठा आरोप पत्र दाखिल किया जाना बताया। मुकदमा स्वयं के विरूद्ध रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया तथा मुख्य रूप से यह कथन किया कि मृतका के भाई अजय के सगे साले संतोष के साथ अवैध सम्बन्ध थे। इसकी शिकायत मृतका के पिता से उसने की थी। इसी रंजिश से झूठा मुकदमा लिखा दिया।

7. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 रोशनी, पी0डब्लू0–2 रेशमा वर्मा, पी0डब्लू0–5 अजय एवं औपचारिक साक्षी पी0डब्लू0–3, कां0 मो0 रामखलन एवं पी0डब्लू0–4 डा0 कौशलेन्द्र प्रकाश एवं पी0डब्लू0–6 विवेचक मो0 कल्लन के साक्ष्य एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

9. **पी0डब्लू0–1 रोशनी** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि घटना दि0 03.11.2024 के समय 4.00 बजे सायं की है। उसकी बहन सायं 4.00 बजे भाभी के घर भैया दूज लेकर ग्राम देवीखेड़ा जा रही थी। बहन का नाम कोमल था। उसकी बहन नवई चौराहे पर पंहुची तो वहॉ पर उसे सचिन और सुधीर मिले। दोनो ने कोमल के साथ छेड़खानी करते हुए मारा–पीटा एवं गन्दी–गन्दी गाली दी। उसकी बहन फिर भाभी के घर गयी। वापस सायं को 6.00 बजे उसी दिन आ गयी, फिर दोनों सचिन के घर के सामने मिले, वहॉ पर फिर से उसकी बहन को बाल पकड़कर दरवाजे पर खींचकर चप्पलों से मारा, मुंह पर खरोंच मार दी, गाली दिया व पूरे खानदान को जान से मारने की धमकी दी। गाल व कान के पास से खून बह रहा था। कोमल के चिल्लाने से बड़ी बहन रेशमा मौके पर पंहुची, वह दुकान पर सामान लेने गयी थी। जब रेशमा बचा रही थी तो उसे भी सचिन ने मारा और धक्का दे दिया। चिल्लाने पर वह अपनी मॉ के साथ भी पंहुची थी। मौके पर सचिन का पूरा परिवार भी था, वह भी कुछ नहीं बोल रहे थे। घटना की रिपोर्ट उसकी बहन ने की थी। मौके पर 112 नम्बर की पुलिस पंहुची थी। 112 नम्बर को उसकी मम्मी ने बुलाया था। वह अपने बहन कोमल को लिखते–पढ़ते देखा है, वह उसके हस्ताक्षर पहचानती है। कोमल द्वारा थाने में दी गयी तहरीर कागज सं0 4क/4 साक्षी को दिखाया गया तो उसने अपने बहन कोमल के हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसने अपनी बहन की फोटो व घटना के समय की वीडियो चिप दाखिल किया है। वीडियो चिप में कोमल द्वारा 112 नम्बर पुलिस को दिये गये बयान हैं। फोटो व चिप पत्रावली में कागज सं0 7क/3 एवं 7क/4 शामिल है, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 एवं वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। विवेचक ने उसके बयान लिये थे। थाने में तहरीर बहन द्वारा घटना के दूसरे दिन दी गयी थी। उसी दिन उसकी बहन कोमल घटना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। तहरीर देने के बाद भी थाने से कोई नहीं आया था। कोमल के मरने की सूचना थाने पर देने के बाद लाश का पोस्टमार्टम व पंचायतनामा हुआ था।

10. **पी0डब्लू0–2 रेशमा वर्मा** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि पिछले साल वह भैया दूज पर अपने मायके नवई आयी थी। दि0 03.11.2024 को उसकी सगी बहन कोमल शाम को 4.00 बजे भैया दूज लेकर अपने भाभी के गांव देवीखेड़ा जा रही थी। नवई चौराहे पर सचिन और सुधीर ने उसकी बहन को रोककर छेड़खानी की

और उसे मारा–पीटा। उसकी बहन रोती हुई भाभी आरती के गांव चली गयी। शाम को 6.00 बजे उसकी बहन कोमल वापस घर आ रही थी कि सचिन ने अपने दरवाजे पर रोक लिया। सचिन व सुधीर ने मिलकर फिर से उसकी बहन कोमल को चप्पलों से मारा–पीटा औरा उसके चेहरे को नोंच दिया, जिससे उसके खून निकलने लगा। वह वहीं पर दुकान पर सामान लेने गयी थी। अपनी बहन को बचाने लगी तो उसे भी दोनों लोगों ने मारा–पीटा औरा उसके बाल नोचे और उसे धक्का देकर नाली में गिरा दिया। वह गर्भवती थी। उसके पेट में दर्द होने लगा। दोनों लोगों ने गन्दी–गन्दी गाली साले–मादरचोद, रंडी दी और जान से मारने की धमकी दी। वह व उसकी बहन घर आये। मौके पर ही 112 नम्बर की पुलिस आयी थी। पुलिस के पूछने पर कोमल ने बयान दिये थे, जिसका वीडियो बनाया था। इस घटना की रिपोर्ट उसकी बहन कोमल ने थाना अजगैन में दूसरे दिन की थी, लेकिन शाम तक थाने से कोई पुलिस नहीं आयी तो उसकी बहन कोमल निराश हो गयी और अपने को अपमानित महसूस करने लगी। परेशान होकर गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली।

11. **पी0डब्लू0–3 कां0 मो0 रामलखन** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि–दिनांक 04.11.2024 को वह थाना अजगैन में कां0 मो0 के पद पर तैनात था। उस दिन उसने वादिनी कोमल के द्वारा महिला हेल्प डैक्स में दिये गये प्रार्थना पत्र को कम्प्यूटर आपरेटर को बोल–बोलकर मु0 अ0 सं0 340/2024 अर्न्तगत धारा–127(2), 74, 115(2),352 बी0एन0एस0 की एफ0आई0आर0 पंजीकृत करायी थी। प्रमाणित चिक एफ0 आई0 आर0 पत्रावली में कागज सं0 4क/1 लगायत 4क/3 है, जिसकी साक्षी ने पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। अपराध का खुलासा उसी समय जी0डी0 सं0 93 में किया गया। जी0डी0 पत्रावली में का0 सं0 5क/4 है जिसे साक्षी ने अपने हस्ताक्षर में होना प्रमाणित किया जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

12. **पी0डब्लू0–4 डा0 कौशलेन्द्र प्रकाश** मेडिकल आफीसर जिला अस्पताल उन्नाव ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि दिनांक 05.11.2024 को वह जिला अस्पताल में स्थित शव–विच्छेदन गृह में बतौर मेडिकल आफीसर पी0एम0 ड्यूटी पर था। उस दिन समय 12.10 पी0एम0 पर मृतका कोमल का शव आया था तथा उसके शव का पोस्टमार्टम उनके द्वारा किया गया था।

13. **बाह्य परीक्षण–** मृतका की लम्बाई 154 सी0एम0 मध्यम शरीर औसत कद–काठी की थी। मृत्यु पश्चात अकड़न गर्दन से निकाल कर शरीर के ऊपरी व निचले भाग में मौजूद थी। पी0एम0 स्टेनिंग पीठ, नितम्ब और जांघों में मौजूद थी। दोनों ऑखे व मुँह आंशिक रूप से खुला था, नाखून नीले थे।

14. **मृत्यु पूर्व चोटें–**

1. फन्दे का निशान 22 से0मी0 x1.5 से0मी0 गर्दन में था जो ठुड्ढी के नीचे और थाईराइड कार्टिलेज के ऊपर था जो पीछे की तरफ तिरछा होकर जा रहा था। दाहिने कान के नीचे 4 सी0एम0 गैप था। दाहिने कान के ठीक नीचे ठुड्ढी से 5 से0मी0 नीचे और बायें कान से 6 से0मी0 नीचे मौजूद था। निशान को काटने पर फन्दे का निशान सफेद कठोर ग्लेस्टेनिंग दिखता था। ऊपर से फन्दे का निशान ग्रूव, भूरा, कठोर और पार्चमेंट की तरह था।

2. छिला हुआ घाव 1 से0मी0 x 0.2 से0मी0 दाहिने माथे पर मौजूद था जो दाहिनी भौं से 2 से0मी0 बाहर की तरफ था।

3. छिला हुआ घाव 0.5 से0मी0 x 0.2 से0मी0 दाहिने गाल पर मौजूद था जो दाहिने कान के निचले पिन्ना से 4 से0मी0 अन्दर के तरफ था।

4. छिला हुआ घाव 0.5 से0मी0 x 0.3 से0मी0 दाहिने गाल पर मौजूद था जो चोट नं0 3 से 2 से0मी0 नीचे था।

5. छिला हुआ घाव 2 से0मी0 x0.1 से0मी0 दाहिने कान के नीचे पिन्ना पर मौजूद था।

6. छिला हुआ घाव 2 से0मी0 x1 से0मी0 दाहिने पैर के अंगूठे पर मौजूद था।

15. **आन्तरिक परीक्षण रिपोर्ट–** मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियां कन्जेस्टेड थीं। हार्ड बोन इनटैक्ट थी। दोनो प्लूरा, दोनों फेफड़े कन्जस्टेड थे। हृदय का दाहिना चैम्बर भरा हुआ, बायां चैम्बर खाली था। आमाशय में 50 एम0एल0 तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी ऑत में वेस्ट व गैसेस थी। बड़ी ऑत में मल पदार्थ व गैस थी। दोनो गुर्दे, प्लीहा कन्जेस्टेड थे। गर्भाशय खाली था।

16. चिकित्सक की राय में मृत्यु का कारण दम घुटने से हुई थी जो एन्टीमार्टम हैगिंग से था। सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी। पी0एम0 रिपोर्ट सं0 1384/24 उसी समय कम्प्यूटर से तैयार कर अपने हस्ताक्षर में तैयार की थी। कागज सं0 5क/26 लगायत 5क/30 साक्षी ने देखकर प्रमाणित किया तथा अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

17. **पी0डब्लू0–5 अजय कुमार** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि– दिनांक 03.11.2024 को शाम के 4.00 बजे उसकी बहन कोमल अपनी भाभी के यहॉ भैया दूज लेकर जा रही थी। रास्ते में नवई तिराहे पर सचिन ने उसकी बहन कोमल

को पकड़ कर थप्पड़ों से मारा, गन्दी–गन्दी गाली दी और सुधीर ने भी उसकी बहन को मारा और गालियां दी, दोनों लोगों ने छेड़खानी की। उसके बाद जब उसकी बहन वापस अपने घर आ रही थी, तब सचिन व उसके दोस्त सुधीर ने सचिन के घर के पास उसकी बहन कोमल को चप्पलों से मारा और लात–घूसों से मारा, गन्दी–गन्दी गालियां दी और छेड़खानी की, गाल नोच लिये थे। ये बात कोमल ने घर आकर हम सबको बताई, उसकी बहन कोमल ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन पुलिस ने मुल्जिमानों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे उसकी बहन काफी आहत हो गयी और अपने को अपमानित महसूस करने लगी। परेशान होकर दिनांक 04.11.2024 को शाम को गले में फन्दा डालकर उसकी बहन कोमल ने आत्महत्या कर ली। थाना पुलिस द्वारा दूसरे दिन पंचायतनामा की कार्यवाही उसके व अन्य लोगों के समक्ष की थी और शव को सील सर्व मोहर मौके पर ही करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पंचायतनामा हम लोगों को पढ़ाकर, सुनाकर अलामात बनवाये गये थे। पंचायतनामा देखकर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। उसकी बहन कोमल ने अपने साथ घटित घटना के सम्बन्ध में थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने से क्षुब्ध होकर उसकी बहन कोमल गले में फन्दा लगाकर लटक गयी थी, जिसे डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना उसने थाने में दी थी। सूचना तहरीर को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

18. **पी0डब्लू0–6 सब इन्स्पेक्टर मो0 कल्लन (विवेचक)** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि–दिनांक 04.11.2024 को वह थाना अजगैन में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। मु0अ0सं0 340/2024 धारा 127(2), 74, 115(2), 352, 108 बी0एन0एस0 पंजीकृत होकर चिक एफ0आई0आर0, नकल रपट वास्ते विवेचना उसे प्राप्त हुईं। अभियुक्त सचिन को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर ही अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को थाने लाकर दाखिल किया गया, जिसका तस्करा दिनांक 05.11.2024 की जी0डी0 में रपट नं0 37 पर अंकित किया गया, जिसकी पुष्टि साक्षी ने की, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। मृतका के भाई अजय के बयान लिये तथा अजय के निशांदेही पर मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका का नक्शानजरी का0 सं0 6क/2 अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। यह स्थान मृतका द्वारा आत्महत्या करने के स्थान का है। मृतका के भाई द्वारा जहॉ पर मृतका के साथ मारपीट व गाली गलौज की गयी थी, वह स्थान दिखाया गया जिसका नक्शानजरी अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया। कागज सं0 6क/1 को साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला

गया। तमामी विवेचना साक्ष्य संकलन बयान साक्षीगण अभियुक्त सचिन के विरूद्ध धारा 127(2),74,115(2),352,108 बी0एन0एस0 और अभियुक्त सुधीर के विरूद्ध धारा 352,108 बी0एन0एस0 का अपराध पाये जाने पर आरोप–पत्र सं0 325/2024 कम्प्यूटर आपरेटर से तैयार कराकर अपने हस्ताक्षर से आरोप–पत्र 3क/1 लगायत 3क/6 न्यायालय प्रेषित किया जिसकी साक्षी ने देखकर पुष्टि की तथा अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। मृतका के शव को एक सफेद कपड़े में रखकर मौके पर ही सील सर्वमोहर कर पंचायतनामा व पुलिस प्रपत्र मौके पर ही अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया जिसे पंचानगण को पढ़ाकर, सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। पूर्व प्रदर्शित पंचायतनामा प्रदर्श क–5 साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की। चिट्ठी आर0आई0, चिट्ठी सी0एम0ओ0, नमूना सील, फोटो लाश, चालान लाश, जी0डी0 व फौती सूचना पत्रावली में का0 सं0 5क/19 लगायत 5क/25 शामिल है और जी0डी0 की पुष्टि की तथा अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–12 लगायत क–17 डाला गया।

19. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि जब पीड़िता अपने भाई के घर भैया दूज लेकर अभियुक्त सचिन ने दिनांक 03.11.2024 को समय 4 बजे शाम जाते समय व 6 बजे शाम वापस आते समय पीड़िता कोमल व उसकी बहन रेशमा को अपने घर के सामने रास्ते में सदोष परिरोध कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके गाल पर चोट आयी। शाम 6 बजे पहले से उपस्थित अभियुक्त सचिन का दोस्त सुधीर कुमार मिला, जिसने कहा कि कोमल साली फिर आ गयी है इसको मारो। गवाहों के कथनों में घटना के मूल स्वरूप के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। अभियुक्त सचिन द्वारा पीड़िता को गाली गलौज कर छेड़छाड़ करने व मारपीट करने से क्षुब्ध होकर उसने अपने घर में दिनांक 04.11.2024 को कमरे की कुण्डी में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियोजन प्रपत्रों एवं तथ्य के साक्षियों के बयान के आधार पर अभियोजन कथानक साबित होता है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध होने योग्य है।

20. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त सचिन द्वारा पीड़िता–मृतका कोमल को अपने दरवाजे के सामने रास्ते में रोककर सदोष परिरोध नहीं किया और न ही उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया और न ही उसको गालियां देकर अपमानित किया और न ही उसने पीड़िता–मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। यह भी कथन किया है कि पी0डब्लू0–1, 2 तथा 5 द्वारा घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, उन्होंने केवल पीड़िता

के बताने के आधार पर बयान दिया है, इसलिए वह अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आते हैं। पीड़िता कोमल ने थाने में रिपोर्ट लिखाने हेतु दिनांक 04.11.2024 को तहरीर दी थी, उसमें दिनांक 03.11.2024 को केवल शाम 6 बजे की घटना का उल्लेख है, परन्तु शाम 4 बजे की घटना का उल्लेख नहीं है, जबकि साक्षी पी0डब्लू0–1, 3 व 5 ने अपने–अपने बयानों में दिनांक 03.11.2024 को पहली घटना शाम 4 बजे की बतायी है और इसी दिनांक को दूसरी घटना शाम 6 बजे की बतायी गयी है। प्रस्तुत मामले में तथ्य के साक्षियों के बयान आपस में विरोधाभाषी होने के कारण, उनके बयान विश्वसनीय नहीं है। मृतका के अवैध सम्बन्ध मृतका के भाई अजय के साले संतोष से थे, जिसकी शिकायत अभियुक्त सचिन ने मृतका के पिता महादेव से की थी। इसी रंजिश के कारण अभियुक्त सचिन को झूठा फंसा दिया गया है। यह भी तर्क दिया है कि मृतका ने दिनांक 03.11.2024 की घटना के सम्बन्ध में थाने में रिपार्ट लिखाई थी, परन्तु दिनांक 4.11.2024 को शाम तक पुलिस कोई कार्यवाही करने नहीं आयी, जिससे निराश होकर मृतका कोमल ने आत्महत्या कर ली। अभियुक्त सुधीर कुमार का नाम पीड़िता–मृतका ने अपनी तहरीर में अंकित नहीं किया था। पीड़िता के भाई अजय ने पीड़िता के द्वारा आत्महत्या करने के बाद थाने में दी गयी तहरीर में भी अभियुक्त सुधीर कुमार का नाम घटना कारित करने वाले में अंकित नहीं किया है। अभियुक्त सुधीर कुमार को पीड़िता की मॉ कलावती, भाई अजय व पिता महादेव आदि के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। यह भी तर्क किया है कि मृतका ने अपनी तहरीर में घटना दिनांक 03.11.2024 को शाम 6 बजे की बतायी है जबकि उसके द्वारा दिनांक 04.11.2024 को 7.50 बजे अपने घर में आत्महत्या की, इस बीच मृतका को अभियुक्तगण द्वारा लगातार आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया गया है, सिर्फ गाली–गलौज, अपमान या एक बार झगड़ा होने से स्वतः उकसावा सिद्ध नहीं हो जाता है अभियुक्तगण का इरादा मृतका को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का नहीं था। मृतका द्वारा घटना के लगभग 26 घण्टे बाद आत्महत्या की गयी हैं। यदि कोई व्यक्ति अपमानित होने के 26 घण्टे बाद आत्महत्या करता है, तो इतने समय का अंतर के आधार पर उकसावा सिद्ध नहीं माना जायेगा। आरोपी का व्यवहार, मृतका की स्थिति और दोनों के बीच निकट सम्बन्ध को देखना होगा। अभियुक्तगण द्वारा मृतका को सीधे तौर पर उकसाने का भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

21. उभयपक्षों के तर्को के सम्बन्ध में तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 रोशनी, पी0डब्लू0–2 जो पीड़िता की सगी बहनें है तथा पी0डब्लू0 5 अजय कुमार जो पीड़िता का भाई है, के बयानों का अवलोकन किया। पी0डब्लू0–1 ने कथन किया है कि घटना दिनांक 03.11.2024 के समय 4.00 बजे सायं की है। उसकी बहन सायं 4.00 बजे भाभी के घर भैया दूज लेकर ग्राम देवीखेड़ा जा रही थी। बहन का नाम कोमल था। उसकी

बहन नवई चौराहे पर पंहुची तो वहॉ पर उसे सचिन और सुधीर मिले। दोनों ने कोमल के साथ छेड़खानी करते हुए मारा–पीटा एवं गन्दी–गन्दी गाली दी। उसकी बहन फिर भाभी के घर गयी। वापस सायं को 6.00 बजे उसी दिन आ गयी, फिर दोनों सचिन के घर के सामने मिले, वहॉ पर फिर से उसकी बहन को बाल पकड़कर दरवाजे पर खींचकर चप्पलों से मारा, मुंह पर खरोंच मार दी, गाली दिया व पूरे खानदान को जान से मारने की धमकी दी। गाल व कान के पास से खून बह रहा था। कोमल के चिल्लाने से बड़ी बहन रेशमा मौके पर पहॅुची, वह दुकान पर सामान लेने गयी थी। जब रेशमा बचा रही थी तो उसे भी सचिन ने मारा और धक्का दे दिया। चिल्लाने पर वह अपनी मॉ के साथ भी पंहुची थी। मौके पर सचिन का पूरा परिवार भी था, वह भी कुछ नहीं बोल रहे थे। घटना की रिपोर्ट उसकी बहन ने की थी। पी0डब्लू0–1 के कथनों की पुष्टि पी0डब्लू0–2 व 5 ने भी की है।

22. पी0डब्लू0–1 ने जिरह के पृष्ठ–3 पर कहा है कि ''जब मेरी बहन दिनांक 03.11.2024 को भाभी के यहॉ भैया दूज को चार बजे जा रही थी, मैं साथ नहीं गयी थी। मेरी बहन कोमल भाभी के घर से शाम को 6 बजे वापस आयी तो घटना की सारी बात बतायी।'' इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस साक्षी ने घटना नहीं देखी। यह पीड़िता के बताये अनुसार बयान दे रही है, जो अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आती है। इस साक्षी के बयान से अभियोजन पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ–11 पर कहा है कि घटना के पहले मेरे परिवार से सुधीर के परिवार से बोल चाल नहीं है। एक साल पहले जब मेरे भाई अजय की शादी हुई थी, सुधीर को शादी कार्ड नहीं दिया था। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता के परिवार से सुधीर के परिवार में किसी बात को लेकर बोल चाल नहीं थी। इसी कारण सुधीर को बाद में झूंठा नामित किया जाना प्रतीत होता है।

23. पी0डब्लू0–2 ने जिरह के पृष्ठ–3 में कहा है कि कोमल के साथ मैं नहीं गयी थी। कोमल भाई की ससुराल से 6 बजे वापस आयी थी। कोमल ने मुझे घटना के बारे में नहीं बताया। घटना के समय मैं दुकान पर सामान लेने गयी थी। मेरे सामने कोमल को सचिन व सुधीर मार रहे थे। वह चिल्ला रही थी। भाई की ससुराल जाते समय वाली घटना मैंने नहीं देखी थी।'' इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता के साथ घटना दिनांक 03.11.2024 को शाम 4 बजे नहीं हुई, बल्कि शाम 6 बजे हुई। अभियुक्तगण ने तब घटना कारित की, जब वह अपने भाई की ससुराल से वापस आ रही थी। इस साक्षी ने विवेचक को बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में अंकित किये जिसमें उसने दिनांक 3.11.2024 को शाम 4 बजे पीड़िता को अपने घर के सामने रोक कर मारपीट करना बताया है तथा इसी दिनांक को शाम 6 बजे पीड़िता के

साथ अभियुक्त सचिन द्वारा पुनः पीड़िता को अपने घर के सामने रोक कर मारपीट करना बताया है और पीड़िता द्वारा उसको घटना के सम्बन्ध में बताया गया था। जबकि इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष जिरह के पृष्ठ–3 पर बताया है कि ''मैंने दरोगाजी को बताया था कि मैं सामान लेने गई थी, तब मैंने बहन को बचाया था, तब मुझे भी दोनों लोगों ने मारापीटा तथा मेरे बाल नोचे एवं नाली में गिरा दिया। मैं उस समय गर्भवती थी। मेरे पेट में दर्द होने लगा। दोनों लोगों ने गंदी–गंदी गाली साली, रण्डी, मादरचोद की दी थी। यह कथन यदि दरोगा जी ने मेरे बयान में न लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकती।'' इस साक्षी के बयान से निष्कर्ष निकलता है कि उसने घटना नहीं देखी थी और न ही उसके साथ सचिन व सुधीर ने मारपीट व गाली गलौज की और यदि उसके साथ मारपीट की गयी होती तो उसको चोटें अवश्य आती, क्योंकि उसने अभियुक्त सचिन के द्वारा धक्का देकर नाली में गिराना बताया है। इस साक्षी ने धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के बयान में अभियुक्त सुधीर का नाम घटना कारित करने वाले में नहीं लिया है। इस प्रकार इस साक्षी ने बयान अंतर्गत धारा 180 दं0प्र0सं0 से भिन्न न्यायालय में पहली बार बयान देकर अपने बयानों में बढ़ोत्तरी व सुधार किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जगरूप सिंह व अन्य 1993 सीआर.एल.जे. 2766(एचपी)** में *यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि तथ्य के साक्षियों ने धारा 161 दं0प्र0सं0 में दिये गये बयान से अतिरिक्त न्यायालय में साक्ष्य के समय बढोत्तरी की है या उसमें सुधार किया है, तो वह साक्ष्य विश्वसनीयता की श्रेणी में नहीं आता है।* प्रस्तुत मामले में भी पी0डब्लू0–2 तथ्य के साक्षी ने साक्ष्य में उपरोक्त कथन में बढ़ोत्तरी व सुधार करते हुए पहली बार न्यायालय में बयान दिया है। इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीयता की श्रेणी में नहीं आता है। उसके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

24. पी0डब्लू0–5 ने अपने बयान में बताया कि उसकी बहन कोमल ने घटना के बारे में घर आकर सबको बतायी। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ–4 पर कहा है कि ''03 तारीख की मारपीट की घटना मैंने ऑखो से नहीं देखी थी। मुझे बताया गया था।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि इस साक्षी ने घटना नहीं देखी है जो उसको पीड़िता ने बताया था, वही उसने बताया है। इस प्रकार इस साक्षी के बयान के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

25. पीड़िता की तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त सचिन को नशे की हालत में बताया गया है और पीड़िता के साथ बदतमीजी (अशिष्टता) का व्यवहार करते हुए उसको अपने घर के सामने रास्ते में रोक कर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करना बताया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ अशिष्ट व्यवहार, अपमान या

मारपीट होने से स्वतः उकसावा सिद्ध नहीं हो जाता है। उसका आशय यह नहीं माना जा सकता कि उसने जानबूझकर आत्महत्या के लिए उकसाया हो। ऐसा भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त सचिन द्वारा आत्महत्या करने के लिए कहा हो, दबाव डाला हो, भड़काया हो या ऐसा वातावरण बनाया जिससे व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाये। यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि मृतका के साथ मारपीट की घटना दिनांक 03.11.2024 को शाम 6 बजे की बतायी गयी, जबकि पीड़िता ने दिनांक 04.11.2024 को समय 7.50 बजे शाम अपने घर में आत्महत्या की है। इसमें लगभग 26 घण्टे का अंतराल है। इस बीच में कोई अन्य कारण भी हो सकता था। जितना अधिक समय का अंतर होगा, उतना ही अभियोजन को यह साबित करना पड़ेगा कि आत्महत्या उसी उकसावे का परिणाम थी। उकसावे तथा आत्महत्या के बीच निकट सम्बन्ध (close proximity) होना चाहिए, उकसावे का कार्य इतना गम्भीर होना चाहिए कि मृतका के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न बचे तथा वह आत्महत्या के समय के निकट हो। इन सभी तत्वों को अभियोजन साबित नहीं कर सका है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू0–2 ने साक्ष्य में कहा है कि इस घटना की रिपोर्ट उसकी बहन कोमल ने थाना अजगैन में दूसरे दिन की थी, लेकिन शाम तक थाने से कोई पुलिस नहीं आयी तो उसकी बहन कोमल निराश हो गयी और अपने को अपमानित महसूस करने लगी, जिससे परेशान होकर गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। पी0डब्लू0–5 ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी बहन कोमल ने थाने में प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने मुल्जिमानों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे उसकी बहन काफी आहत हो गयी और अपने को अपमानित महसूस करने लगी, परेशान होकर 04.11.2024 को शाम को गले में फन्दा डालकर उसकी बहन कोमल ने आत्महत्या कर ली। उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सचिन द्वारा पीड़िता–मृतका को रास्ते में रोक कर मारपीट करने से अपमानित होकर, उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि पुलिस द्वारा उसकी तहरीर पर कोई कार्यवाही न करने से निराश होकर मृतका द्वारा आत्महत्या किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सचिन को धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

26. **यादवेन्दर सिंह उर्फ सन्नी बनाम पंजाब राज्य व एक अन्य, 2025 लिव लॉ 1058** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Core Ingredients- Hold, to constitute the offence of abetment of suicide under Section 306 IPC, two basic Ingredients must be present: suicidal death and abetment thereof -Abetment, as

defined under Section 107 IPC, requires either Instigation, conspiracy, or intentionally aiding the doing of a thing- Conviction under Section 306 IPC requires a clear mens rea and an active or direct act on the part of the accused to instigate or aid the commission of suicide, which must have led the deceased to commit suicide leaving no option- Mere refusal to marry, even if true, by itself, would not amount to 'instigation' as explained under Section 107 of the IPC - His refusal to marry, or even his statement that he "does not care in case she dies' made when the deceased threatened suicide, could not be said to have been made with the intention to push the deceased into a situation where she was left with no option but to commit suicide-The ingredients necessary to constitute the offence of abetment punishable under Section 306 IPC were not borne out -Putting the accused to trial would be a travesty of justice and an empty formality- Appeal allowed." धारा 45 बी.एन.एस. में वर्णित है कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–(क) उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, (ख) उस बात को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, (ग) उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य का अवैध लोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। प्रस्तुत मामले में भी उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं धारा 45 बी.एन.एस. में वर्णित आत्महत्या के आवश्यक तत्वों का अभाव है। उक्त तत्वों को अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त सचिन को धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नागाराजन बनाम तमिलनाडु राज्य (2025)8 एससीसी 331 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है *कि अपीलकर्ता के खिलाफ भा0दं0सं0 की धारा 306 के तहत कन्निवडी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना नम्बर 239/2003 दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद, 30.10.2003 को अपीलकर्ता के*

खिलाफ भा0दं0सं0 की धारा 306 के तहत आरोपपत्र दाखिल की गई। मामले को डिंडीगुल की फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा गया। विचारण न्यायालय ने आरोपों को बदलकर भा0दं0सं0 की धारा 354 और 448 कर दिया और 29.05.2015 को विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा0दं0सं0 की धारा 306 के आरोप से बरी कर दिया। अपीलकर्ता को भा0दं0सं0 की धारा 354 और 448 के तहत दोषी ठहराया गया। प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध साबित नहीं होता है, परन्तु मारपीट के सम्बन्ध में धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है।

28. पीड़िता–मृतका ने अपनी तहरीर में घटना दिनांक 03.11.2024 को शाम 6.00 बजे की बताया है और अभियुक्त सचिन द्वारा नशे की हालत में पीड़िता को अपने दरवाजे पर रोक कर उसके साथ बदतमीजी करना बताया है और जब वह अपने बचाव में चिल्लाई तो सचिन ने उसको मारापीटा। उक्त तहरीर से स्पष्ट होता है कि पीड़िता के साथ अभियुक्त सचिन ने अपने घर के दरवाजे के सामने बदतमीजी अर्थात अशिष्टता का व्यवहार करते हुए उसके साथ मारपीट की, परन्तु उसको सदोष परिरोध नहीं किया। सदोष परिरोध की व्याख्या यह है कि किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर देना और बाहर निकलने के सभी रास्ते पर पहरा लगाकर उसे जाने से रोकना होता है। परन्तु प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कि पीड़िता को कमरे में बंद करके सदोष परिरोध किया गया हो। अभियुक्त विरूद्ध धारा 74 लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया है। परन्तु पीड़िता ने अपनी तहरीर में लज्जा भंग करने के आशय से अभियुक्त का कोई कृत्य नहीं बताया गया है। धारा 74 बी.एन.एस. की यह व्याख्या है कि महिला को अश्लील आशय से पकड़ना या छेड़ना, उसकी इच्छा के विरूद्ध अनुचित शारीरिक स्पर्श करना, कपड़े खींचना या ऐसे बल का प्रयोग करना जिससे उसकी गरिमा पर आधात पहुॅचे, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त सचिन ने पीड़िता को लज्जा भंग करने के आशय पकड़ा हो या छेड़छाड़ की हो। तहरीर प्रदर्श क–1 में किसी विशिष्ट गाली काभी उल्लेख नहीं है। चूॅकि पीड़िता तहरीर देने के बाद दूसरे दिन मर गयी, ऐसी स्थिति में अभियुक्त सचिन द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट के अपराध के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 को एक प्रासंगिक साक्ष्य (relevant evidence) के रूप में पढ़ा जा सकता है। अभियुक्त सचिन द्वारा दिनांक 03.11.2024 को 6 बजे शाम पीड़िता–मृतका कोमल की मारपीट की गयी थी जिसका उल्लेख मृतका के पंचायतनामा प्रदर्श क–5 में है, जिसकी अंतिम लाइन में लिखा है कि ''दाहिने कान व चेहरे पर चोट का का निशान जो पूर्व की प्रतीत होती है'' तथा इन्हीं चोटों को पोस्टमार्टम करने वाले

चिकित्सक पी0डब्लू0–4 ने भी दाहिने कान व दाहिने चेहरे की चोटो को 3 व 4 के रूप में अंकित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता द्वारा आत्महत्या करने से पूर्व दो चोटें दाहिने कान व दाहिने गाल पर थी, इन्हीं चोटो के सम्बन्ध में पीड़िता–मृतका का फोटो चित्र वस्तु प्रदर्श–1 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार मृतका के दाहिने कान के नीचे व दाहिने गाल पर चोट का निशान है और सूखा खून लगा हुआ है। पत्रावली में संलग्न मोबाइल से खींची गयी फोटो बना कर उसको चिप में डाला गया है जो चिप पत्रावली में वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में संलग्न है जिसको खोलकर मोबाइल में डालकर देखा गया तो वह किसी फिल्म की सीन दिखाई दे रही है और चार पहिया की गाड़ी के अन्दर किसी के साथ मारपीट की जा ही है और चित्र के नीचे डिस टीवी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि डिस टी.वी. से फोटो खींचकर चिप में डाली गयी है, इसलिए इस चिप के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पी0डब्लू0–1 ने पृष्ठ–2 पर कहा है कि वीडियों चिप में कोमल द्वारा 112 नं0 पुलिस को दिये गये बयान है, परन्तु चिप को मोबाइल में डालकर देखने से पीड़िता द्वारा पुलिस को बयान देते हुए नहीं दिखाया गया है, बल्कि चार पहिया गाड़ी के अन्दर मारपीट करते दिखाया गया है। पत्रावली में तहरीर के अलावा पीड़िता–मृतका के चेहरे का फोटो चित्र उपलब्ध है, जिसमें पीड़िता के दाहिने कान के नीचे व दाहिने गाल पर चोट का निशान है और गाल पर पपड़ीनुमा सूखा खून लगा है। तहरीर में किसी विशिष्ट गाली का उल्लेख नहीं है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियुक्त सचिन के विरूद्ध धारा 127(2),352,74 बी.एन.एस. का आरोप साबित नहीं होता है। तहरीर व पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित चोट नं0 3 व 4 से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सचिन द्वारा ही पीड़िता कोमल के साथ केवल मारपीट की गयी। अतः अभियुक्त सचिन धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है।

29. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आत्महत्या के आवश्यक तत्व साबित न होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 108 भारतीय न्याय संहिता का आरोप साबित नहीं होता है और सदोष परिरोध एवं गाली गलौज एवं लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने का तथ्य भी साबित नहीं होता हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सचिन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 108,74,352 भारतीय न्याय संहिता युक्तियुक्त संदेह से साबित करने में असफल रहा है, तथा अभियुक्त सुधीर कुमार विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 108,352 भारतीय न्याय संहिता युक्तियुक्त संदेह से साबित करने में असफल रहा है, परन्तु अभियुक्त सचिन के विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर

पाने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त सचिन धारा 127(2),108,74,352 भारतीय न्याय संहिता के तहत तथा अभियुक्त सुधीर कुमार धारा 108,352 भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषमुक्त होने योग्य है। अभियुक्त सचिन धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषसिद्ध होने योग्य है

आदेश

अभियुक्त सचिन को धारा 127(2),108,74,352 भारतीय न्याय संहिता के तहत तथा अभियुक्त सुधीर कुमार को धारा 108,352 भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त सचिन को धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त सचिन को धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप में न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। अभियुक्त सचिन को दण्ड पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–17.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP06552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

दिनांक 17.06.2026 लंच बाद

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त सचिन 25 वर्षीय नवयुवक है और उसके वृद्ध माता पिता है, जिनके भरणपोषण का भार उस पर है। अभियुक्त सचिन द्वारा पूर्व में दिनांक 05.11.2024 से 03.12.2025 तक अर्थात लगभग 1 वर्ष 28 दिन जेल में निरूद्ध रहा है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा जेल में बिताई गयी 1 वर्ष अवधि से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है और इस अवधि को धारा 468 बी.एन.एस.एस. के तहत मुजरा किये जाने की भी प्रार्थना की गयी। इस पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता भी सहमत है। अतः अभियुक्त सचिन निम्न प्रकार से दण्डित किये योग्य है।

दण्डादेश

अभियुक्त सचिन को धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व 2000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड

अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। चूँकि अभियुक्त पूर्व में 1 वर्ष से अधिक जेल में निरूद्ध रहा है। अतः धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियुक्त सचिन द्वारा भोगी गयी निरोध की अवधि कारावास के दण्डादेश के विरूद्ध मुजरा की जाये। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर जिला कारागार,उन्नाव भेजा जाये।

सुधीर कुमार द्वारा धारा 481 बी.एन.एस.एस.के अर्न्तगत अंकन 20,000–20,000 (बीस–बीस हजार) रूपये के दो प्रतिभू तथा समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्ध–पत्र प्रस्तुत करेगा, जो 6 माह तक प्रभावी रहेगे। सुधीर कुमार को आदेशित किया जाता है कि यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांक–17.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP06552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।